तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
Website : www.kvsangathan.nic.in
E-mail : jcp.kvs@gmail.com / दूरभाष / Tel. : 91-11-26858565

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-1100

फा.11072-3/2020-केविसं/प्रशा-1/554 दिनांक: 02.09.2020

आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 से आईआईटी, इंदौर, **मध्य प्रदेश के परिसर में उच्च शिक्षण संस्थान क्षेत्र (IHL Sector) के अधीन** एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सैक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी। प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात आईआईटी, इंदौर, मध्य प्रदेश निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. सभी अनुपातिक ऊपरी खर्च एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में दूसरी किस्त अक्तूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केविसं प्राधिकृत होंगे तथा वे प्रायोजक को विधिवत नोटिस देकर केन्द्रीय विद्यालय को बंद करने का निदेश भी दे सकते हैं।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सम्पूर्ण कर ली जाए।

(प्रद्युमन कृष्ण कौल)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण: -

1. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. उपाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
3. उप सचिव (यू.टी.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (शैक्षिक)/(प्रशा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)/(प्रशा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. रजिस्ट्रार, आईआईटी, इंदौर, मध्य प्रदेश।
10. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
11. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केंद्रीय विद्यालय संगठन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर, मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर।
14. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।